आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2019(1)

ए. बी. चौधरी और हरनरेश सिंह गिल, जे. जे.

विजय-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादीगण

2018 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2431

11 जनवरी, 2019

भारत का संविधान, 1950 - की धारा 226 - हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994-- धारा 175-- पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961-- सरपंच के चुनाव को चुनौति दी- पंचायती भूमि पर अनाधिकृत कब्जा- निर्वाचित उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य/अयोग्य बताकर चुनाव को चुनौती दी गई - पंचायती जमीन पर अनधिकृत कब्जा - अतिक्रमण के लिए उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने का बचाव - स्वीकार नहीं किया गया - चुनाव रद्द कर दिया गया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि 1961 के अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही प्रत्यर्थी द्वारा शुरू की गई थी, अजीतसिंह R-3 स्वयं यह अभिनिर्धारित करने के लिए पर्याप्त हैं कि उन्होंने इन कार्यवाही को यह दिखाने के लिए दायर किया कि वह अतिक्रमणकारी नहीं थे, लेकिन उनके भाई अतिक्रमणकारी थे जो वास्तव में भी EX P 5 के अनुसार गलत है। उन्होंने सभी को गुमराह करने के लिए उन कार्यवाही को शुरू किया ।हालाँकि, निचली अदालत ने उन्हें यह पाए बिना कि प्रतिवादी No.3-Ajit सिंह ने स्व-विरोधाभासी रुख अपनाया था इसका लाभ दिया है ।

(पैरा 10) ने आगे कहा कि प्रत्यर्थी नं. 3-अजीत सिंह द्वारा उनके भाई राजेश और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए अतिक्रमण के बारे में दायर वैकल्पिक याचिका, जिसके लिए उन्होंने अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू की थी, भी विफल होनी चाहिए।

(पैरा 18)

वी. पी. सांगवान, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

विवेक सैनी, डी. ए. जी. हरियाणा।

विक्रांत राणा, प्रतिवादी नं. 3 के लिए अधिवक्ता।

ए. बी. चौधरी, जे.

(1) वर्तमान याचिका में सर्टिओरारी की रिट द्वारा याचिकाकर्ता-विजय ने सिविल जज (जूनियर डिवीजन), चरखी दादरी विजय बनाम हरियाणा राज्य और अन्य द्वारा चुनाव याचिका No.36 2016 की में पारित दिनांकित 27.11.2017 (अनुलग्नक पी-4) के फैसले को रद्द करने के लिए की मांग की है। 'विजय बनाम अजीत सिंह और अन्य' शीर्षक से याचिकाकर्ता द्वारा दायर उक्त चुनाव याचिका को खारिज कर दिया गया था।

तथ्य

(2) याचिकाकर्ता-विजय ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 (संक्षिप्त 'अधिनियम' के लिए) के तहत चुनाव 10.01.2016 को होए जो। धनपत के पुत्र प्रत्यर्थी No.3-Ajit सिंह (2016 की चुनाव याचिका में प्रत्यर्थी संख्या 1) को ग्राम कारी रूपा (दास) के ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में इस आधार पर अवैध और अमान्य घोषित करने के लिए चुनाव याचिका दायर की कि वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे क्योंकि उनके पास खसरा No.84 गैर मुमकीन फिरनी और खसरा No.111 गैर मुमकीन गली वाली भूमि का अनधिकृत कब्जा था, जो ग्राम पंचायत कारी रूपा के स्वामित्व में है।उन्होंने अपनी चुनाव याचिका में आगे कहा कि उक्त गाँव कारी रूपा दास की ग्राम पंचायत एक थी लेकिन चुनाव से दो महीने पहले विभाजित कर दी गई थी। प्रत्यर्थी No.3-Ajit सिंह ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली उक्त भूमि पर अनधिकृत कब्जे में थे और इसलिए, उन्हें सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

(3) प्रत्यर्थी No.3-Ajit सिंह निचली अदालत के समक्ष पेश हुए और याचिकाकर्ता द्वारा अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जे के आरोप को नकारते हुए चुनाव याचिका का विरोध किया और उक्त चुनाव याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया। ट्रायल कोर्ट ने छह मुद्दा जारी किए और उसके बाद, पक्षों के साक्षय दर्ज किए

और पक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को भी प्रदर्शित किया।अंत में, निचली अदालत ने फैसला सुनाया कि चुनाव याचिका में कोई योग्यता नहीं थी और इसलिए, इसे खारिज कर दिया गया।इसलिए यह याचिका है।

दलीलें

(4) रिट याचिका के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस तर्क को पुष्ट करने के लिए रिकॉर्ड पर साबित दस्तावेजों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया कि प्रतिवादी No.3-Ajit सिंह ग्राम पंचायत कारी रूपा से संबंधित भूमि पर अनधिकृत कब्जे में था।उन्होंने दस्तावेज़ सीमांकन रिपोर्ट दिनांकित 13.04.2016 'एक्ज़िबिट पी1 से एक्ज़िबिट पी6' 'एक्ज़िबिट पी5' में भी प्रस्तुत किया कि अजीत सिंह और उनके भाई राजेश को खसरा No.84 और खसरा No.111 के अनधिकृत कब्जे में दिखाया गया है।उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि राशन कार्ड की EX डी4-प्रति से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि अजीत सिंह हाउस No.265 में रहते हैं जबकि राजेश उर्फ बलवान हाउस No.266, यानी अलग घर में रह रहा था।विद्वान वकील ने तब प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता रिकॉर्ड में दर्ज जमाबंदी दस्तावेजों के अलावा सक्षम अधिकारी की सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार अजीत सिंह के ग्राम पंचायत कारी रूपा से संबंधित भूमि के उक्त टुकड़े पर अतिक्रमण करने के तथ्य को बड़े पैमाने पर दस्तावेजी साक्षयों ने साबित किया, जो उपरोक्त तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।विद्वान वकील ने तब प्रस्तुत किया कि अजीत सिंह उक्त भूमि पर कब्जे में होने के कारण सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के हकदार नहीं थे और तदनुसार, आपत्ति भी ली गई थी।लेकिन निचली अदालत ने **जरीना बनाम वित्तीय आयुक्त के माध्यम से हरियाणा राज्य और** के मामले में एक फैसले पर भरोसा किया है।

जरीना बनाम वित्तीय आयुक्त के माध्यम से हरियाणा राज्य और

अन्य 1 जो निर्णय जनाबाई बनाम अतिरिक्त आयुक्त और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय को देखते हुए प्रासंगिक नहीं है, 2018 की सिविल अपील संख्या 6832 ने 19.09.2018 को निर्णय लिया।उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसलिए वर्तमान याचिका को अनुमति दी जा सकती है और उक्त पद के लिए नए सिरे से चुनाव कराने के लिए आगे के निर्देश के साथ प्रतिवादी No.3-Ajit सिंह का सरपंच पद के लिए चुनाव रद्द किया जा सकता है।

(5) इसके विपरीत, चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी No.3-Ajit सिंह ने चुनाव याचिका का जोरदार विरोध किया और अपना लिखित बयान दायर किया और

प्रस्तुत किया कि याचिका आवश्यक दलों आदि की अनुपस्थिति में विचारणीय नहीं थी और याचिकाकर्ता के पास चुनाव याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।प्रत्यर्थी No.3-Ajit सिंह ने कारी रूपा गाँव की किसी भी भूमि पर कब्जा करने से इनकार किया।प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान वकील ने वर्तमान रिट याचिका का जोरदार विरोध किया और कहा कि अजीत सिंह ने वास्तव में अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उक्त ग्राम पंचायत की भूमि के कब्जे में थे।उन्हें अतिक्रमण करने के लिए दोषी या जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था क्योंकि यह उनके भाई राजेश द्वारा किया गया था, जिसके खिलाफ अजीत सिंह द्वारा पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 1961 का अधिनियम) की धारा 7 के तहत कार्यवाही दायर की गई है।इस प्रकार, अजीत सिंह द्वारा लिया गया रुख यह था कि अतिक्रमण उनके भाई राजेश द्वारा किया गया था न कि उनके द्वारा और इसलिए, उन्हें अतिक्रमण करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था और इसके परिणामस्वरूप, यह नहीं कहा जा सकता था कि अजीत सिंह ने कोई अतिक्रमण किया था।प्रतिवादी No.3-Ajit सिंह ने दस्तावेजों के साथ इस याचिका में लिखित बयान दर्ज किया है।उन्होंने कहा कि वास्तव में, याचिकाकर्ता ने स्वयं कुछ ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण किया था और इसलिए, याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।प्राधिकरण द्वारा बनाई गई सीमांकन रिपोर्ट कथित अवैध कब्जे के बारे में निर्णायक सबूत नहीं है।1961 के अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही पहले से ही प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उनके भाई राजेश के खिलाफ दायर की गई थी और इसलिए, याचिका विचारणीय नहीं थी या अपरिपक्व थी।प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान वकील ने इस प्रकार प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 को उसके भाई की कथित गलती के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, यदि उसने ग्राम पंचायत की भूमि का अतिक्रमण किया है।उन्होंने विद्वत विचारण न्यायालय के विवादित फैसले का समर्थन किया और उक्त मुद्दे पर इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया।इसलिए उन्होंने रिट याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया।

समन्वय

(6) प्रतिद्वंद्वी पक्षों के लिए विद्वान परामर्श को विस्तार से सुना और दस्तावेज़ सहित पूरे रिकॉर्ड को देखा और साथ ही सबूत भी।अधिनियम की धारा 175 (एन) इस प्रकार हैः-

“ [175].अयोग्यताएँ।-- 4 [ ] कोई भी व्यक्ति सरपंच, [---] या ग्राम पंचायत का पंच या पंचायत समिति या जिला परिषद का सदस्य नहीं होगा या इस तरह से जारी नहीं रहेगा जो -

(एन) चुनाव की तारीख से पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद से संबंधित भूमि या अन्य अचल संपत्ति के अनधिकृत कब्जे में है या रहा है; या

XXXXXXXXX "

(7) उपरोक्त प्रावधान के पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अयोग्यता अधिनियम की धारा 175 की उप-धारा (एन) में अधिनियम की धारा 175 के शुरुआती शब्दों के साथ प्रदान की गई है कि "कोई भी व्यक्ति सरपंच नहीं होगा या इस तरह बना रहेगा यदि वह ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद से संबंधित भूमि या अन्य अचल संपत्ति के अनधिकृत कब्जे में है।प्राधिकरण, अर्थात् उप-मंडल अधिकारी (सी) और पूछताछ अधिकारी, लोहारू द्वारा तैयार की गई दिनांकित 07.11.2016 (अनुलग्नक पी-3) की जांच रिपोर्ट को ध्यान से देखने की आवश्यकता है।उन्होंने दोनों पक्षों को जो भी सबूत पेश करना चाहते थे, उन्हें पेश करने का पूरा मौका दिया।सीमांकन रिपोर्ट सहित मौखिक और दस्तावेजी साक्षय के आधार पर उक्त जांच रिपोर्ट के कुछ पैराग्राफ को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा, जो इस प्रकार है:- बदरा जिला भिवानी के कारी रूपा निवासी वेद पाल नंबरदार ने बताया था कि उनके गांव के सरपंच अजीत सिंह ने फिरनी किला No.66/84 और सामान्य रास्ता No.111 गाँव कारी रूपा में स्थित वर्ष 2010-11 के लिए जमाबंदी से संबंधित खेवट No.104, खातोनी No.161 में परिच्छेद No.111।उन्होंने गाँव के बाहरी मार्ग, किला No.66/84 और सामान्य मार्ग No.111 की आम भूमि पर अवैध रूप से घर का निर्माण किया था।क्षेत्र से संबंधित अभिलेख की माँग की गई और क्षेत्र का सीमांकन किया गया।खसरा No.66/84,111 और 119 में मौजूद व्यक्तियों की एक सूची तैयार की गई थी।सीमांकन रिपोर्ट और अतिक्रमण के नक्शे के अनुसार, 16.62 वर्ग पर एक निर्माण। बाहरी मार्ग के किला No.66/84 पर यार्ड, 177.68 स्क्वायर। अजीत सिंह द्वारा बनाए गए सामान्य मार्ग No.111 पर यार्ड पाया जाता है।सीमांकन रिपोर्ट की प्रति, उपस्थित व्यक्ति की सूची और अतिक्रमण का नक्शा संलग्न है।

श्योरम के पुत्र धरमबीर निवासी जिला भिवानी की कारी रूपा तहसील बढरा ने बयान किया कि गाँव कारी रूपा के सरपंच अजीत सिंह ने फिरनी और सामान्य

मार्ग पर घर बनाया था, जो अवैध रूप से रह रहा था।उसने गाँव कारी रूपा की राजस्व संपदा के भीतर स्थित वर्ष 2010-11 के लिए जमाबंदी से संबंधित खेवट No.104, खातोनी No.161 में फिरनी किला No.66/84 और सामान्य मार्ग No.11 का अवैध रूप से अतिक्रमण किया था।उन्होंने आम भूमि, फिरनी किला No.66/84 और आम मार्ग No.111 का अवैध रूप से अतिक्रमण करके घर का निर्माण किया था। क्षेत्र तहसीलदार से अभिलेख की माँग की गई और कंप्यूटर मशीन के साथ सीमांकन किया गया। तहसीलदार बाधरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, अजीत सिंह ने 16.65 स्क्वायर पर अतिक्रमण किया था। किला No.66/84 और 177.68 वर्ग की यार्ड भूमि। सामान्य मार्ग No.111 पर यार्ड और उसका अवैध निर्माण पाया गया।सीमांकन रिपोर्ट, नोटिस, अतिक्रमण का नक्शा और उपस्थित व्यक्तियों की सूची की प्रति संलग्न की गई है।

एस. अजीत सिंह, सरपंच कारी रूपा, तहसील बधरा, जिला भिवानी ने बयान किया कि कि वर्ष 2010-11 के लिए जमाबंदी से संबंधित खसरा No.84,111, खेवत No.104,191 मिन, खटोनी No.161 मिन का सीमांकन मदन लाल, सेवानिवृत्त कानूनगो द्वारा किया गया था और धारा 24 (1) दिनांक 13.05.2016 के तहत के राजेश को नोटिस दिया। एस. गांव कारी रूपा के जाट जाति निवासी रिचपाल का पुत्र श्योरम।उन्हें धारा 24 (2) के तहत 25.05.2016 दिनांकित नोटिस के माध्यम से अपना कब्जा हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कब्जा को नहीं हटाया। इसलिए पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स एक्ट, 1961 की धारा 7 के तहत एक आवेदन दिनांक 09.06.2016 पर दायर किया गया था।...... मुझे सीमांकन के समय नहीं बुलाया गया है, जबकि वह गांव के सरपंच थे।दुश्मनी के कारण मेरा नाम मेरे भाई के साथ दर्ज किया गया है।मैं अलग रह रहा हूँ।मेरा राशन कार्ड अलग है। जहाँ तक अतिक्रमण का संबंध है, मैंने सहायक कलेक्टर के समक्ष निष्कासन के लिए एक आवेदन दायर किया है।...... उपरोक्त आवेदन पर सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी चरखी दादरी की अदालत के फैसले के परिणाम से पहले कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

(8) उपरोक्त रिपोर्ट के अवलोकन पर, यह देखा गया है कि गाँव के नंबरदार वेद पाल ने बयान किया कि अजीत सिंह ने गाँव कारी रूपा में स्थित जमाबंदी से संबंधित वर्ष 2010-11 के लिए फीर्नी किला No.66/84 और सामान्य मार्ग No.111 खेवट No.104, खटोनी No.161 पर जबरन और अवैध रूप से घर का निर्माण किया था।उन्होंने गाँव के बाहरी मार्ग, किला No.66/84 और सामान्य मार्ग No.111 की आम भूमि पर अवैध रूप से घर का निर्माण किया था।तदनुसार, क्षेत्र का सीमांकन

किया गया था ।सीमांकन रिपोर्ट और अतिक्रमण के नक्शे के अनुसार, अजीत सिंह द्वारा सामान्य मार्ग पर एक निर्माण किया गया था ।दस्तावेजी साक्षय के आधार पर श्योराम के बेटे धरमबीर ने भी ऐसा ही बयान दिया था ।प्रत्यर्थी No.3-Ajit सिंह को अवसर दिया गया और कहा गया कि सीमांकन रिपोर्ट मदन लाल, सेवानिवृत्त कानूनगो द्वारा तैयार की गई थी और धनपत के बेटे राजेश और रिचपाल के बेटे श्योरम को धारा 24 (1) दिनांक 13.05.2016 के तहत नोटिस दिया गया था ।उन्हें धारा 24 (2) दिनांक 25.05.2016 के तहत नोटिस के माध्यम से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया और इसलिए, उन्होंने स्वयं 1961 के अधिनियम की धारा 7 के तहत 09.06.2016 पर याचिका दायर की। शिकायतकर्ता की शिकायत पर रतन सिंह, सेवानिवृत्त कानूनगो द्वारा सीमांकन किया गया था और 16.6.5 स्क्वायर यार्ड के अतिक्रमण में उनका नाम दर्ज किया गया था। अपने भाई का दुश्मनी के कारण उसका नाम उसके भाई के साथ दर्ज किया गया था। वह अलग रह रहा है। उन्होंने सहायक कलेक्टर के समक्ष कार्यवाही दायर की ।जांच अधिकारी ने अंततः अपनी रिपोर्ट में कहा कि चूंकि 1961 के अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही लंबित थी, इसलिए वह कोई कार्रवाई नहीं कर सके और फाइल को सौंप दिया।

(9) लर्नड ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा 10 में निम्नलिखित दर्ज किया:

“10. ...... दिनांक 13.4.2016 (Ex.P1 से Ex.P6) की सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार, दस्तावेज़ Ex.P5 में धनपत के बेटे अजीत और राजेश को अनधिकृत रूप से खसरा No.84 और खसरा No.111 के कब्जे में दिखाया गया है ।राशन कार्ड की Ex.D4 प्रति के अनुसार, अजीत प्रतिवादी संख्या 1 घर No.265 में रह रहा है और राशन कार्ड की Ex.D5 प्रति के अनुसार, राजेश उर्फ बलवान घर No.266 में रह रहा है। दस्तावेजों Ex.D4 और Ex.D5 से ऐसा प्रतीत होता है कि अजीत और राजेश अलग-अलग घरों में रह रहे हैं ।यह साबित नहीं हुआ है कि यह वास्तव में प्रतिवादी संख्या 1 है जिसने ग्राम पंचायत की भूमि का अतिक्रमण किया है न कि राजेश का ।राजेश द्वारा कथित अतिक्रमण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है ।इसके अलावा, दस्तावेज़ Ex.D1 आवेदन की प्रति से पता चलता है कि प्रतिवादी नंबर 1 ने गाँव का सरपंच होने के नाते उक्त राजेश के खिलाफ पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू की है ।इस प्रकार, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वयं अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिन्हें कथित रूप से कब्जे में लिया गया है। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसके भाई राजेश द्वारा पंचायत भूमि के

तथाकथित अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। याचिकाकर्ता द्वारा वास्तविक भौतिक कब्जे के सिद्धांत को बहुत आगे बढ़ाया जा रहा है, जबकि अदालत से पंचायत की भूमि पर कथित रूप से निर्मित घर पर प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा जा रहा है।”

(10) विद्वत विचारण न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्ष के अवलोकन से पता चलता है कि उन्होंने तथ्यों पर निर्णय दिया है कि प्रतिवादी संख्या 3 और उनके भाई राजेश दोनों को खसरा No.84 और खसरा No.111 के अनधिकृत कब्जे में दिखाया गया है और राशन कार्ड से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 3 सदन No.265 में रह रहा है और इस प्रकार, वे अलग रह रहे हैं।इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने प्रत्यर्थी No.3-Ajit सिंह और राजेश दोनों को अनधिकृत कब्जे में दिखाए जाने के बारे में निष्कर्ष दर्ज किया, विद्वत निचली अदालत ने एक निष्कर्ष दर्ज किया है जो विकृत है कि यह वास्तव में साबित नहीं होता है कि प्रत्यर्थी No.3-Ajit सिंह ने ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण किया था या राजेश ने अतिक्रमण किया था।इस प्रकार, हम पाते हैं कि तथ्य पर निष्कर्ष स्वयं विरोधाभासी है।दूसरा पहलू यह है कि प्रतिवादी संख्या 3 ने स्वयं निचली अदालत के समक्ष कहा कि उसने अपने भाई राजेश और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 1961 के अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही दर्ज की थी।इसलिए निचली अदालत ने माना कि प्रतिवादी No.3-Ajit सिंह अपने भाई द्वारा तथाकथित अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार नहीं था।इस निष्कर्ष में एक स्पष्ट भ्रांति है क्योंकि 1961 के अधिनियम की धारा 7 के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए कार्यवाही दायर की गई है और इसलिए जिनको भी अनधिकृत कब्जे के साथ आगे बढ़ना पड़ा।एक दस्तावेजी साक्षय है, जिसमें सीमांकन रिपोर्ट, पी1 से पी6 तक, अजीत सिंह और उनके भाई राजेश दोनों के पास खसरा No.84 और खसरा No.111 के अनधिकृत कब्जे का संकेत है।तथ्य यह है कि 1961 के अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही प्रतिवादी No.3-Ajit सिंह द्वारा स्वयं शुरू की गई थी, यह मानने के लिए पर्याप्त है कि उन्होंने इन कार्यवाही को यह दिखाने के लिए दायर किया था कि वह अतिक्रमणकारी नहीं थे, बल्कि उनके भाई अतिक्रमणकारी थे जो वास्तव में भी गलत है।उन्होंने सभी को गुमराह करने के लिए उन कार्यवाही को शुरू किया।हालाँकि, निचली अदालत ने उन्हें यह पाए बिना इसका लाभ दिया है कि प्रतिवादी No.3-Ajit सिंह ने स्व-विरोधाभासी रुख अपनाया था।

(11) विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा सारत: अभिलिखित निष्कर्ष यह है कि यह उसका भाई राजेश था जिसने अतिक्रमण किया था और इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या

3 की गलती नहीं थी।उसके भाई द्वारा किए गए अतिक्रमण से प्रतिवादी संख्या 3 प्रभावित नहीं होना चाहिए क्योंकि वह एक अलग व्यक्ति/व्यक्ति है।

(12) दस्तावेजी साक्षय EX पी1 से पी6 और दिनांकित सीमांकन रिपोर्ट EX पी5 के आलोक में, हमारी दृढ़ राय है कि प्रतिवादी No.3-Ajit सिंह ने अपने भाई राजेश के साथ अनधिकृत तरीके से खसरा No.84 और खसरा No.111 वाली भूमि पर कब्जा करना जारी रखा है जो दस्तावेजी साक्षय से साबित होता है।प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा की गई वैकल्पिक प्रस्तुति और निचली अदालत के इस निष्कर्ष का परीक्षण करते हुए कि राजेश द्वारा अतिक्रमण से प्रत्यर्थी संख्या 3 के मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम पाते हैं कि शीर्ष अदालत ने हाल ही में तीन न्यायाधीशों की पीठ के माध्यम से कानून का फैसला सुनाया है।

देवीदास सुरवाडे बनाम आयुक्त, अमरावती 2 (लेखक

ए. बी. चौधरीजे)।

(13) देवीदास सुरवाडे के मामले (ऊपर) में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:-

"उक्त संशोधित प्रावधान में "व्यक्ति" शब्द की व्याख्या ऐसे व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में की जानी चाहिए, जिसने अतिक्रमण किया है और सरकारी भूमि या सरकारी संपत्ति, उसके एजेंट, समनुदेशिती या हस्तांतरणकर्ता या जैसा भी मामला हो, उस पर कब्जा करना जारी रखा है।यदि उक्त प्रावधान में ऐसी व्याख्या नहीं की जाती है, तो परिणाम के अर्थ में बेतुका होगा। सरकारी भूमि का अतिक्रमण जारी रहेगा और ऐसी अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि पर शेष कानूनी उत्तराधिकारी या समनुदेशन या हस्तांतरणकर्ता लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के अधिकार का दावा करेंगे। किसी भी मामले में हमारी चेतना बॉम्बे ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2006 के उद्देश्य को विफल करने के लिए इस तरह की व्याख्या की अनुमति नहीं देती है।"

(14) इस प्रकार, बॉम्बे ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2006 में प्रासंगिक प्रावधान में आने वाला महत्वपूर्ण शब्द "व्यक्ति" भी अधिनियम की धारा 175 में आता है।

(15) **सागर पांडुरंग धुंदरे बनाम केशव आबा पाटिल और अन्य 3** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में दो न्यायाधीशों की पीठ

देवीदास सुरवाडे के मामले (ऊपर) में बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को "व्यक्ति" शब्द को बहुत संकीर्ण रूप से समझकर खारिज कर दिया था।

(16) सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ का उक्त निर्णय जनाबाई के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया। पैरा-24 और 29 में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करने और देवीदास सुरवाडे के मामले (उपरोक्त) में निर्णय पर विचार करने के बाद "व्यक्ति" शब्द की व्याख्या की।जनाबाई के मामले (ऊपर) में पैरा-24 और 29 इस प्रकार हैं:-

“24. जैसा कि हम उपरोक्त पैराग्राफ से समझते हैं, दो-न्यायाधीशों की पीठ को 'व्यक्ति' शब्द द्वारा निर्देशित किया गया है जैसा कि धारा 14 (1) में उपयोग किया गया है और आगे धारा 53 में नियोजित भाषा से प्रभावित है।इसके अलावा, दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किए गए विश्लेषण, जैसा कि हम देखते हैं, ने 'व्यक्ति' शब्द को एक सीमित अर्थ दिया है जिसने सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण किया है।इसने यह भी फैसला सुनाया है कि ऐसा व्यक्ति वह है जिसने वास्तव में पहली बार सरकारी या सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण किया है। देवीदास सुरवाडे (ऊपर) में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर भरोसा करते हुए और 'व्यक्ति' शब्द पर जोर देते हुए कहा कि अतिक्रमणकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी जो सरकारी भूमि या सरकारी संपत्ति पर कब्जा करना जारी रखते हैं, उन्हें अतिक्रमणकारियों के रूप में माना जाना चाहिए।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि इस तरह की व्याख्या को नहीं अपनाया जाता है, तो परिणाम बेतुका होगा, क्योंकि सरकारी भूमि अतिक्रमण जारी रहेगा और अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि पर शेष कानूनी उत्तराधिकारी या समनुदेशित या हस्तांतरणकर्ता लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के अधिकार का दावा करेंगे।बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के अनुसार, इस तरह की व्याख्या बॉम्बे ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2006 के उद्देश्य को विफल कर देगी।

XXXXXXXXX

29.हम यहाँ लाभ के साथ नोट कर सकते हैं कि धारा 14 (1) (जे-3) में उपयोग किए गए 'व्यक्ति' शब्द का इतना संकीर्ण अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप अयोग्यता के संदर्भ में 'अतिक्रमण' का मूल मुद्दा पूरी तरह से निरर्थक हो जाता है।जैसा कि हम समझते हैं, विधायी इरादा यह है कि

अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जे को बहुत सख्ती से देखा जाना चाहिए और इसलिए धारा 53 में दैनिक जुर्माने का प्रावधान है।यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह पंचायत ही है जिसे अतिक्रमण हटाने की शक्ति प्रदान की गई है।पंचायत की ओर से यह वैधानिक दायित्व है कि वह अपनी संपत्तियों के हितों की रक्षा करे।यदि कोई सदस्य किसी अतिक्रमण की गई संपत्ति पर कब्जा रखता है, तो उसके हितों का टकराव होता है।यदि एक व्याख्या रखी जाती है कि यह पहला अतिक्रमणकर्ता या अकेले व्यक्ति द्वारा किया गया अतिक्रमण है जिसे अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा, तो यह एक बेतुकी बात होगी।उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की अवधारणा हमें यह मानने के लिए प्रेरित करेगी कि जब कोई व्यक्ति वहां रहकर अतिक्रमण की गई संपत्ति को साझा करता है और वहाँ निरंतरता होती है, तो उसे अयोग्य माना जाना चाहिए।इस तरह की व्याख्या प्रावधान के वास्तविक वारंट को कम करती है।इस प्रकार विश्लेषण किए जाने पर, हमारा विचार है कि सागर पांडुरंग धुंदरे (ऊपर) में निर्णय कानून की सही स्थिति को निर्धारित नहीं करता है और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है।"

(17) इस प्रकार, वृहद पीठ ने सागर पांडुरंग धुंडारे के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए विचार को खारिज कर दिया और देवीदास सुरवाडे के मामले (ऊपर) में निर्णय को बरकरार रखा।

(18) संक्षेप में, प्रत्यर्थी No.3-Ajit सिंह द्वारा अपने भाई राजेश और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए अतिक्रमण के बारे में की गई वैकल्पिक याचिका, जिसके लिए उन्होंने 1961 के अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्यवाही शुरू की थी, भी जनाबाई के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई कानून की उपरोक्त घोषणा के आलोक में विफल होनी चाहिए।

(19) उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि वर्तमान याचिका को सफल होना चाहिए।परिणामस्वरूप, हम निम्नलिखित आदेश देते हैं:-

आदेश

(i) 2018 के सी. डब्ल्यू. पी. No.2431 को 25,000/- की राशि के साथ अनुमति दी गई है, जिसका भुगतान प्रतिवादी No.3-Ajit सिंह द्वारा आज से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर वर्तमान याचिकाकर्ता को किया जाएगा।

((ii) सिविल जज (जूनियर डिवीजन), चरखी दादरी द्वारा 2016 की चुनाव याचिका 36 में 'विजय बनाम अजीत सिंह और अन्य' शीर्षक से पारित दिनांकित 27.11.2017 (अनुलग्नक पी-4) के विवादित फैसले को रद्द कर दिया गया है।

(iii) नतीजतन, याचिकाकर्ता-विजय द्वारा दायर 2016 की चुनाव याचिका No.36 को अनुमति दी जाती है और यह घोषित किया जाता है कि प्रतिवादी No.3-Ajit सिंह का ग्राम कारी रूपा (दास) की ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में चुनाव अवैध है और इसे अलग कर दिया जाता है।

(iv) संबंधित सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ता को इस आदेश की प्रमाणित प्रति जारी करने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर ग्राम कारी रूपा (दास) के ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए चुनाव कराने का निर्देश दिया जाता है।

(v) संबंधित उपायुक्त कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आज से छह महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता और उसके परिवार द्वारा किए गए अनधिकृत अतिक्रमण/कब्जे को हटा देगा और इस न्यायालय को अनुपालन की रिपोर्ट देगा।संबंधित उपायुक्त व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

शुभरीत कौर

अस्वीकरण- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैं ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता हैं । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेशय के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेशय के लिए उपयुक्त रहेगा ।

विनीता शर्मा
अनुवादक